

सेवा में

जीवाणु लोक सूचना अधिकारी
निदेशक वन्य जीव संरक्षण
चन्द्रबणी रोड देहरादून 248002
(उत्तराखण्ड)

विषय - सूचना का अधिकार 2005 के अन्तर्गत निम्न लिखित
बिन्दुओं पर सूचना उपलब्ध कराने हेतु

- ① राजा जी टाईगर रिजर्व पार्क के सैफ्टी जोन की दूरी क्या है। उस आदेश की शर्त सत्यापित फॉटो उपलब्ध कराई जाय।
 - ② पार्क के सैफ्टी जोन में खनन कार्य कराया जा सकता है या नहीं।
 - ③ पार्क के सैफ्टी जोन में स्टोन क्रैशर संचालित रह सकता है या नहीं।
- जार्जी सन्नी बिन्दुओं पर सूचना प्राप्त करने हेतु वस रुपये का पोस्टल ऑर्डर सं. D/P 817553 साथ में भेजकर भेज रहा है। यदि अन्य कोई शुल्क देय होगा तो जार्जी देने का तैयार है। सन्नी बिन्दुओं की जानकारी समय पर उपलब्ध कराने की कृपा करे।

दिनांक

20-8-2020

जार्जी अमरीश कुमार

अमरीश कुमार डी. प्रो. हरिचन्द
ग्राम बनजारेवाला गंठ
पो. टांको सुन्दरपुर
त. भगवानपुर
जि. हरिद्वार (UP)
P. 9690638711

WILDLIFE INSTITUTE OF INDIA
Right to Information Act, 2005
Apl. No. 45 Qtr. II Year 2020-21
Fee 100/- Inward Date 28/8/2020

IPD

28/8/2020

Jyoti

भारतीय डाक विभाग द्वारा जारी किया गया डाक टिकट का उपयोग केवल डाक के लिए ही किया जा सकता है।

पत्र भेजने वाले का नाम

पत्र भेजने वाले का पता

पत्र भेजने वाले का नाम



भारतीय डाक आदेश
INDIAN POSTAL ORDER

भारतीय डाक विभाग द्वारा जारी किया गया डाक टिकट का उपयोग केवल डाक के लिए ही किया जा सकता है।
भारतीय डाक विभाग द्वारा जारी किया गया डाक टिकट का उपयोग केवल डाक के लिए ही किया जा सकता है।
भारतीय डाक विभाग द्वारा जारी किया गया डाक टिकट का उपयोग केवल डाक के लिए ही किया जा सकता है।

₹ 10

AT THE POST OFFICE AT

कमीशन रकम ₹ 100
SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HERE

भारतीय डाक विभाग द्वारा जारी किया गया डाक टिकट का उपयोग केवल डाक के लिए ही किया जा सकता है।
भारतीय डाक विभाग द्वारा जारी किया गया डाक टिकट का उपयोग केवल डाक के लिए ही किया जा सकता है।
भारतीय डाक विभाग द्वारा जारी किया गया डाक टिकट का उपयोग केवल डाक के लिए ही किया जा सकता है।

51F 817553

भारतीय डाक विभाग द्वारा जारी किया गया डाक टिकट का उपयोग केवल डाक के लिए ही किया जा सकता है।
भारतीय डाक विभाग द्वारा जारी किया गया डाक टिकट का उपयोग केवल डाक के लिए ही किया जा सकता है।
भारतीय डाक विभाग द्वारा जारी किया गया डाक टिकट का उपयोग केवल डाक के लिए ही किया जा सकता है।